न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा जिला बाड़मेर

प्रार्थी		विप्रार्थीगण
1. मसरू पुत्र केसाराम 2. पुरखाराम पुत्र केसाराम 3. चौथाराम पुत्र केसाराम 4.गोवदाराम पुत्र केसाराम 5. हरसनराम पुत्र केसाराम 6.अमीयां पत्नि हेमा 7. रामाराम पुत्र हेमा 8. वीरा पुत्र हेमा जाति–रबारी निवासी– लकड़ासर तहसील– सेड़वा जिला बाड़मेर।	बनाम	1. जेठाराम पुत्र सरदाराराम 2.पताराम पुत्र सरदाराराम 3. सांवलाराम पुत्र सरदाराराम 4. विजेश कुमार पुत्र सरदाराराम 5. मफीदेवी पत्नि सरदाराराम 6. दवारका पुत्र कुपा 7. गोकला पुत्र कुपा 8. रम्भादेवी पत्नि कुपा 9. द्वारकाराम पुत्र दलाराम 10. मेवाराम पुत्र दलाराम 10. मेवाराम पुत्र दलाराम 11. रतनाराम पुत्र दलाराम 12. रूखमा पत्नि दलाराम 13. फुईया पुत्र तगा 14. विरधाराम पुत्र तगा 15. मसरू पुत्र तगा 16. डूंगरा पुत्र जोधा 17. म्यासा पुत्र केसरा 18. मेघा पुत्र केसरा 19. पुरखा पुत्र केसरा 20. नारणा पुत्र केसरा 21. अन्तरा पत्नि केसरा जाति रबारी, निवासी लकड़ासर तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर। 22. इब्राहीम पुत्र साहू जाति मुसलमान, निवासी लकड़ासर, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर। 23. श्रीमान तहसीलदार सेड़वा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज.भू. राजस्व अधिनियम वास्ते नेखमबंदी बाबत।

राजस्व आवेदन संख्या 376/2022

दिनांक : 15/02/23

आदेश

तहसीलदार सेड़वा को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र झड़पा भू.अ.नि. क्षेत्र अरटी के मौजा लकड़ासर के खेत खसरा संख्या 100/236 रकबा 8.0937 हैक्टर किस्म बारानी सोयम के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा नेखमबंदी की पालना 15 दिवस में अवश्य पेश करें। नेखमबंदी के दौरान किसी बिन्दु पर किसी प्रकार निर्माण होने की स्थिति में उस बिन्दु पर नेखम स्थापित नहीं किया जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहसीलदार दोनों पक्षों को नोटिस जारी करने के उपरान्त ही नेखमबंदी की कार्यवाही करें।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।

(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी
सेड़वा

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

क्रमांक/भू.अ./2023/ 300-306 दिनांक 15/02/2023

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ–

1. तहसीलदार सेड़वा।
2. प्रार्थी मसरू पुत्र केसा वगैरा ।
3. विप्रार्थीगण जैठा पुत्र सरदाराराम वगैरा।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना सेड़वा/चौहटन/बाखासर/बीजराड़/धोरीमन्ना

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2023.04.06 10:25:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 376/2022 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

मसरू वगैरा बनाम जेठाराम वगैरा

पीठासीन अधिकारी —श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस

प्रार्थी वकील — श्री श्रीराम विश्नोई

निर्णय

दिनांक —

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे कथन किया है कि तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र झड़पा भू.अ.नि. क्षेत्र अरटी के मौजा लकड़ासर के खेत खसरा संख्या 100/236 रकबा 8.0937 हैक्टर किस्म बारानी सोयम स्थित है। प्रार्थी के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पडोसी है। जिनके खेत प्रार्थी के खेत के पडोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काश्त अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश-एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थी ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी के वक्त काश्त प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमी की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थी विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकर्ड मे दर्ज होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया की जाकर वादग्रस्त भूमि तहसील सेडवा पटवार क्षेत्र झड़पा भू.अ.नि. क्षेत्र अरटी के मौजा लकड़ासर के खेत खसरा संख्या 100/236 रकबा 8.0937 हैक्टर किस्म बारानी सोयम की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते है कि वो दोनो पक्षो के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते है कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनो पक्षो के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काश्त मे परिवर्तन किये बिना मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। नेखमबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो।

तहसीलदार सेड़वा को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थी के खसरे की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावें एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर इसी पत्रावली में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15/02/23 को न्यायालय के खुले परिसर में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2023.04.06 10:25:25 IST
Reason: SelfAttested

(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी, सेड़वा

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा